इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2013—आषाढ़ 19, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. 15554-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 10 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१३

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१३

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ४ का संशोधन.

४. धारा ७ का संशोधन.

५. धारा ९-क का अन्त:स्थापन.

६. धारा ११ का संशोधन.

७. धारा १२ का संशोधन.

८. धारा १७ का संशोधन.

९. धारा २६ का संशोधन.

१०. धारा २७ का संशोधन.

११. धारा २८ का संशोधन.

१२. धारा २९ का स्थापन.

१३. धारा ३५ का स्थापन.

१४. धारा ३६ का संशोधन.

१५. धारा ३६-क का अंत:स्थापन.

१६. धारा ४१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१३

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में.—

(एक) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(त क) ''व्यावसायिक पाठ्यक्रम'' से अभिप्रेत है, निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (ड) में यथा परिभाषित व्यावसायिक पाठ्यक्रम;'';

(दो) खण्ड (न) का लोप किया जाए;

(तीन) खण्ड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(फ) ''विनियामक परिषद्'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, १९८७ (१९८७ का ५२) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) की धारा ४ के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद् वास्तुविद् अधिनियम, १९७२ (१९७२ का २०) के अधीन स्थापित वास्तुविद् परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १०२) के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २००० (क्रमांक १ सन् २००१) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् या भेषजी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ८) के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद्, दंत चिकित्सक अधिनियम, १९४८ (१९४८ का १६) के अधीन गठित भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, १९४७ (१९४७ का ४८) के अधीन गठित भारतीय नर्स परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ (१९७३ का ५९) के अधीन गठित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, १९९३ (१९९३ का ७३) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आयुष विभाग के अधीन किसी स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या यथास्थिति, अन्य कोई केन्द्रीय या राज्य विनियामक निकाय जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, उच्च शिक्षा के मानक सुनिश्चित करने हेतु मानक तथा शर्तें अधिकथित करने के लिए, स्थापित किया गया है;''.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ज) संकाय, जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान आदि की प्रकृति तथा संख्या, निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक संकाय में किए जाने वाले प्रस्तावित अध्ययन तथा गवेषणा कार्यक्रम (स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर) के प्रकार एवं ऐसा क्रमिक कार्यक्रम जो पाठ्यक्रमानुसार नामांकन लक्ष्य के साथ पांच वर्ष के लिए हों :

परन्तु निजी विश्वविद्याल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई ऐसा कार्यक्रम या पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमोदित सूची में न हो;''.

धारा ७ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ७ में,—

''(एक) खण्ड (एक) में, उपखण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क) मुख्य परिसर तथा ऐसे अन्य परिसर जो विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, २००३ के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किए जाएं;'';

(दो) खण्ड (दो) और (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(दो) वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, स्थापित किए जाने वाले मुख्य परिसर के लिए न्यूनतम १० हेक्टर भूमि प्राप्त करेगा और उसके स्वामित्व संबंधी कागजात प्रस्तुत करेगा;

(तीन) वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन तथा अनुषंगी संरचना के रूप में न्यूनतम २५०० वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा;'';

(तीन) खण्ड (चार) में,—

(क) उपखण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(च) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करेगा तथा ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियामक आयोग और विनियामक परिषदों द्वारा, समय-समय पर, विहित की जाएं;'';

(ख) उपखण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(झ) वह, यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विनियामक परिषदों या विनियामक आयोग के मानकों, दिशा-निर्देशों या निदेशों के अनुसार, यदि कोई हों, प्रवेश प्रक्रिया एवं फीस के नियतन को अवधारित करेगा;'';

(ग) उपखण्ड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ट) निजी विश्वविद्यालय का अध्यापन कर्मचारिवृंद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित विनियामक परिषद् या निकाय द्वारा यथाविहित न्यूनतम अर्हता रखेगा तथा कर्मचारिवृंद को समुचित पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा;''.

(घ) उपखण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ड) धारा ३५ के उपबंध के अनुसार संबंधित परिनियमों या अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशित हो जाने तक प्रवेश तथा कक्षाएं प्रारंभ नहीं होंगे;";

(चार) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(पांच) वह धारा ९-क में उपबंधित प्रक्रिया अपनाए बिना किसी ऐसे विद्यमान महाविद्यालय या संस्था को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी विभाग, विद्या शाखा या निजी विश्वविद्यालय की संघटक इकाई के रूप में संबद्ध हो, अधिसूचित नहीं करेगा;

(छह) वह विनियामक आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई संकाय स्थापित नहीं करेगा;";

(पांच) धारा ७ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित की गई उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(२) आशय पत्र, इसके जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा तथा राज्य सरकार, विनियामक आयोग की सिफारिश पर वैधता की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी:

परन्तु मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१३ के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किए गए आशय पत्र की वैधता उपरोक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी.".

५. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, अध्याय दो में, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ९-क का अंत:स्थापन.

"९-क (१) निजी विश्वविद्यालय, उसके निगमन के पश्चात्, विनियामक आयोग को किसी अन्य विद्यमान विश्वविद्यालय से किसी विभाग या विद्या शाखा या निजी विश्वविद्यालय की किसी अन्य संघटक इकाई के रूप में संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था को अधिसूचित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. **निजी विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय या संस्था को अधिसूचित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना.**

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ:—

(क) उस विद्यमान विश्वविद्यालय का जिससे कि महाविद्यालय संबद्ध हो, और

(ख) संबंधित विनियामक परिषद् का, यदि कोई हो,

अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न न हो.

(३) विनियामक आयोग, उपधारा (१) के अधीन दिए गए आवेदन पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, आदेश द्वारा, ऐसी तारीख से जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा.

(४) उपधारा (३) के अधीन विनियामक आयोग द्वारा किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से, महाविद्यालय, यथास्थिति, निजी विश्वविद्यालय के किसी विभाग, विद्या शाखा या संघटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया समझा जाएगा.

(५) उपधारा (१) से (४) तक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व महाविद्यालय या संस्था में प्रवेशित छात्र विद्यमान विश्वविद्यालय के छात्र बने रहेंगे.''.

धारा ११ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ११ में,—

''(एक) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१-क) विनियामक आयोग की सिफारिश पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि संकायों, पाठ्यक्रमों, छात्रों की संख्या में वृद्धि होने से अथवा किसी अन्य कारण से विन्यास निधि की रकम में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है, तो वह आदेश द्वारा, प्रायोजी निकाय को ऐसी अतिरिक्त रकम जैसी कि वह उचित समझे, विन्यास निधि में जमा करने का निदेश दे सकेगी तथा प्रायोजी निकाय ऐसे निदेश का अनुपालन, ऐसे समय के भीतर करेगा जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए.'';

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(३) निजी विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए विन्यास निधि से आय का उपयोग ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, किया जा सकेगा किन्तु इसका उपयोग निजी विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय हेतु नहीं किया जाएगा.''.

धारा १२ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १२ में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु खण्ड (क) के अधीन छात्रों से संग्रहीत फीस का एक प्रतिशत संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नियत अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर विनियामक आयोग के पास ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, जमा किया जाएगा.''.

धारा १७ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस निमित्त विहित मानकों को पूरा करता हो, कुलपति के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा.'';

(दो) उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस निमित्त विहित मानकों को पूरा करता हो, कुलपति के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा.'';

धारा २६ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा २६ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए'' के स्थान पर, शब्द ''इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों, और विनियामक परिषद् के मानकों तथा दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२), (३) और (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(२) निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों का प्रारूप, शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा तथा विनियामक आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

(३) विनियामक आयोग, निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियमों के प्रारूप पर उसकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर विचार करेगा और किसी ऐसे उपान्तरण के संबंध में, जिसे कि वह आवश्यक समझे, निजी विश्वविद्यालय से परामर्श करने के पश्चात्, प्रारूप को उपान्तरण सहित या उपान्तरण के बिना राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

(४) प्रबंधन बोर्ड, प्रथम परिनियमों में किसी संशोधन के प्रारूप को शासी निकाय के अनुमोदन के साथ विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा. विनियामक आयोग, संशोधन के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात्, उसे ऐसे उपांतरणों के साथ, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.".

धारा २७ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा २७ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए" के स्थान पर, शब्द "इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों, और विनियामक परिषद् के मानकों तथा दिशा निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के प्रारूप से भिन्न अन्य परिनियमों का प्रारूप, प्रबंधन बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाया जाएगा.";

(तीन) उपधारा (३) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (२) के अधीन बनाए गए परिनियम" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (२) के अधीन बनाए गए परिनियमों का प्रारूप" स्थापित किए जाएं;

(चार) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(५) विनियामक आयोग, शासी निकाय द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगा तथा परिनियमों के प्रारूप को ऐसे उपांतरणों के साथ, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.";

(पांच) उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(६) प्रबंधन बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, प्रथम परिनियमों से भिन्न अन्य परिनियमों में किसी संशोधन के प्रारूप को विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा. विनियामक आयोग संशोधन के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात्, इसे ऐसे उपांतरणों के साथ, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.".

धारा २८ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा २८ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए" के स्थान पर, शब्द "इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों, और विनियामक परिषद् के मानकों तथा दिशा-निर्देशों तथा परिनियमों के अध्यधीन रहते हुए" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) निजी विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेशों का प्रारूप कुलपति द्वारा बनाया जाएगा जो कि अनुमोदन के लिए विनियामक आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा.";

(तीन) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(४) कुलपति, विनियामक आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर अपनी टिप्पणी देगा तथा प्रथम अध्यादेशों का प्रारूप विनियामक आयोग को लौटा देगा और विनियामक आयोग, कुलपति की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, प्रथम अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों के साथ, जैसे कि वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.".

धारा २९ का स्थापन.

१२. मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

पश्चात्वर्ती अध्यादेश.

"२९ (१) प्रथम अध्यादेश से भिन्न समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद् द्वारा प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से बनाए जाएंगे.

(२) कुलपति, प्रथम अध्यादेश में किसी संशोधन के प्रारूप को विनियामक आयोग को प्रस्तुत कर सकेगा, विनियामक आयोग, संशोधन के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात्, प्रारूप को ऐसे उपांतरणों के साथ, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

राज्य सरकार के निदेश.

२९-क. विनियामक आयोग, राज्य सरकार के निदेश पर या किसी भी समय स्वप्रेरणा से, निजी विश्वविद्यालय को किसी परिनियम या अध्यादेश को संशोधित करने या निरसित करने, या ऐसे नए परिनियम या अध्यादेश बनाने का निदेश दे सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे और निजी विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का ऐसे समय के भीतर, जैसा कि निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन करेगा:

परन्तु यदि निजी विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनियामक आयोग के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो विनियामक आयोग, धारा ३५ के अधीन किसी परिनियम या अध्यादेश के ऐसे संशोधन या निरसन को या नए परिनियम या अध्यादेश को, राजपत्र में प्रकाशन के लिए, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.".

धारा ३५ का स्थापन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ३५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का प्रवर्तन.

"३५ (१) समस्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम, विनियामक आयोग द्वारा राजपत्र में प्रकाशन के लिए, राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे.

(२) राज्य सरकार, स्वयं का यह समाधान करने के लिए कि परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप हैं, विनियामक आयोग से ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए कह सकेगी या विनियामक आयोग को ऐसे निदेश दे सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे.

(३) समस्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

१४. मूल अधिनियम की धारा ३६ में,— धारा ३६ का संशोधन.

(एक) उपधारा (३) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए, और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(ख) विनियामक आयोग, व्यावसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करते समय राज्य सरकार के विभागों और प्रशासकीय विभाग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा.

(ग) विनियामक आयोग तथा खण्ड (ख) के अधीन आमंत्रित किए गए प्रतिनिधियों के बीच किसी विषय पर मत भिन्नता होने की दशा में, ऐसा विषय विनिश्चिय के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा.".

(दो) उपधारा ११ के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१२) (क) विनियामक आयोग को कृत्यों के निष्पादन एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां होंगी.

(ख) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियामक आयोग को निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

(एक) निजी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को समन भेजना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(दो) निजी विश्वविद्यालय से किसी दस्तावेज या सामग्री का प्रकटीकरण या प्रस्तुत करवाना;

(तीन) निजी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी से शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना;

(चार) निजी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; या

(पांच) कोई अन्य विषय जो कि विहित किया जाए.

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त, विनियामक आयोग को यह शक्ति होगी कि—

(एक) निजी विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी करे जैसे कि वह उचित समझे और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि निदेशों में नियत किया गया है, अनुपालन रिपोर्ट मंगाना;

(दो) निजी विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम से भिन्न किसी अन्य पाठ्यक्रम में, ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि वह उचित समझे, प्रवेश को रोकने या स्वीकृत अन्तर्ग्रहण को कम करने के लिए, निजी विश्वविद्यालय को निदेश देना;

(तीन) निजी विश्वविद्यालय पर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध, विश्वविद्यालय के किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम या विनियामक आयोग द्वारा दिए गए निदेशों का उल्लंघन करने पर शास्ति अधिरोपित करना जो कि प्रथम उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक की हो सकेगी और पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए दस लाख रुपये तक की हो सकेगी और सम्पूर्ण शास्ति या उसके किसी भाग का भुगतान उन छात्रों को करने का आदेश देना जो कि निजी विश्वविद्यालय की गलत कार्रवाई के कारण प्रभावित हुए हों;

(चार) धारा ११ की उपधारा (२) के अधीन या धारा ४१ की उपधारा (१) के अधीन निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना.''.

धारा ३६-क का अंत:स्थापन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अपील फाईल किया जाना.

''३६-क. (१) विनियामक आयोग द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अथवा निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७ (क्रमांक २१ सन् २००७) की धारा १० के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी को आदेश प्राप्त होने की तारीख से ३० दिन के भीतर, अपील फाईल कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त ३० दिन की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील फाईल करने में पर्याप्त कारण से प्रविरत रहा है.

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी, प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से विनियामक आयोग के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा.

(३) अपील प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार यह निदेश भी दे सकेगा कि अपील के लंबित रहने के दौरान उस आदेश का, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, निष्पादन स्थगित बना रहेगा.

(४) ऐसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा.''.

धारा ४१ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ४१ में,—

(एक) उपधारा (१) और (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''(१) विनियामक आयोग की रिपोर्ट पर या अन्यथा, यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि—

(क) निजी विश्वविद्यालय में कुशासन या वित्तीय कुप्रबंध की स्थिति उद्भूत हो गई है; या

(ख) निजी विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, या विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों का गंभीर उल्लंघन किया है; या

(ग) निजी विश्वविद्यालय ने विनियामक आयोग के निदेशों का अनुपालन करने में लगातार व्यतिक्रम किया है; या

(घ) निजी विश्वविद्यालय की कार्रवाइयां, उसके विद्यार्थियों के हितों के प्रतिकूल हैं,

तो वह निजी विश्वविद्यालय से सात दिन के भीतर कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए नोटिस जारी करेगा कि उसके परिसमापन का आदेश क्यों न किया जाए.

(२) यदि राज्य सरकार का, उपधारा (१) के अधीन जारी सूचना का प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राज्य सरकार राजपत्र में, प्रकाशित अधिसूचना द्वारा शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, कुलाधिपति और कुलपति के निलंबन का आदेश करेगी और निजी विश्वविद्यालय के कारबार के प्रशासन हेतु एक प्रशासक नियुक्त करेगी, जो शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, कुलाधिपति और कुलपति की शक्तियों का प्रयोग करेगा. ऐसी अधिसूचना प्रथम बार में छह मास की कालावधि के लिए जारी की जाएगी और छह मास से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि राज्य सरकार आवश्यक समझे, बढ़ाई जा सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार किसी भी समय राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार नियुक्त प्रशासक की नियुक्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगी और शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, कुलाधिपति और कुलपति को पुन: स्थापित कर सकेगी.'';

(दो) उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(७) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि:—

(क) कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निजी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता या प्रशासन असुरक्षित हो गया है, या

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या निजी विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों के गंभीर उल्लंघन के कारण या निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के निदेश के अनुपालन में लगातार व्यतिक्रम कर रहा है या विद्यार्थियों के हित गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, या

(ग) निजी विश्वविद्यालय को बनाए रखना जनहित में नहीं है, तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा निजी विश्वविद्यालय के समापन का आदेश देगी या प्रशासक की नियुक्ति करके, जिसमें शासी निकाय की शक्तियां होंगी, निजी विश्वविद्यालय को चालू रखवाएगी:

परन्तु समापन का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अधिनियम की अनुसूची से ऐसे निजी विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टि को हटा न दिया जाए.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

देश की आर्थिक प्रगति तथा कौशल आधारित रोजगार की मांग में वृद्धि के कारण उच्च शिक्षा में परम्परागत शिक्षा की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है. अत: स्वाभाविक है कि स्थापित किए जा रहे नवीन निजी विश्वविद्यालयों में अधिकतर पाठ्यक्रम व्यावसायिक प्रकृति के हैं, जैसे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, स्थापत्यकला, औषध निर्माण विज्ञान, प्रबंधन, दंत चिकित्सा, सह-चिकित्सा, परिचर्या, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन आदि.

२. इन पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न विनियामक निकाय हैं, जो पाठ्यक्रम और उसकी विषयवस्तु, अपेक्षित अधोसंरचना, अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद, उनकी संख्या तथा अर्हताएं, प्रवेश के लिए पात्रता, प्रवेश क़ी प्रक्रिया, फीस और ऐसे ही अन्य विषयों के लिए मानक स्थापित करते हैं. ऐसे सभी मानकों का पालन अनिवार्य होता है. अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ६ जुलाई, २०१३.

लक्ष्मीकांत शर्मा
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१३ के जिन खण्डों द्वारा विधायिनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड ४ (तीन) — निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की शर्तें विहित किये जाने,

खण्ड ६ (३) — निजी विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए विन्यास निधि से आय का उपयोग किये जाने की रीति सुनिश्चित किए जाने, एवं

खण्ड ७ — संग्रहीत फीस का एक प्रतिशत विनियामक आयोग को दिये जाने की रीति नियत किये जाने,

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.